

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -380/2023

अनवान : -

1. बलवन्त पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. मीरा पत्नी बलवन्त जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. शर्मिला पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. अनकोरी पत्नी चन्द्रभान जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
4. जगदीश पुत्र चन्द्रभान जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 26.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 12/9 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 13 एनटीआर के खाता संख्या 17/19 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि का बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 17/19 में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के प्रत्येक के नाम दर्ज 1/6 - 1/6 हिस्सा भूमि को वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है तथा रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 12/9 की भूमि में वादी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है।

राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मुताबिक बंटवारा व कब्जा काश्त के अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण से वादी व प्रतिवादीगण का आपस में विवाद बना रहता है इसलिए वादी विवाद का टालने की गर्ज से बाहमी बंटवारा के अनुसार खाता व लगान अलग-अलग करवा पाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)



मुताबिक बाहमी बंटवारा रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 17/19 के कुल खसरे 19 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है0 भूमि में से प0 नं0 372/420 (36) के किला नं. 11, 20, 21 की 0.759 है0 प0 नं0 372/421 (37) किला नं. 7-8 की 0.5060 है0, 12 ता 14 की 0.759 है0 व 18 ता 23 की 1.518 है0 भूमि कुल 3.542 है0 भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा प0 नं0 372/421 (37) के किला नं. 1/1 की 0.2280 है0, 1/2 की 0.0250 है0, गै0 मु0 रास्ता, 9 ता 11 की 0.759 है0 कुल 1.012 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है तथा रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 12/9 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 5.8190 है0 भूमि में से प0 नं0 371/421 (46) के किला नं. 4/1 की 0.227 है0, 4/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/1 की 0.2020 है0, 5/2 की 0.051 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/1 की 0.227 है0, 6/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 7 की 0.253 है0, 13/2 के पूर्व दिशा की 0.1265 है0 प0 नं0 371/421 (46) किला नं. 14 की 0.253 है0, 15/1 की 0.228 है0, 15/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/1 की 0.228 है0, 16/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 17-18 की 0.5060 है0 कुल तादादी 2.4035 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है तथा प0 नं0 371/420 (33) किला नं. 16/1 की 0.228 है0, 16/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 17 ता 19 की 0.759 है0, 22 ता 24 की 0.759 है0, 25/1 की 0.228 है0, 25/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, प0 नं0 371/421 (46) के किला नं. 2/1 की 0.228 है0, 2/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/1 की 0.228 है0, 3/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8, 9 व 12 की 0.759 है0, 13/1 के पश्चिम दिशा की 0.1265 है0 कुल 3.4155 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा न्यायालय से घोषणा करवाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज खाता व लगान अलग-अलग दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि बाबत पक्षकारान का सींव डोल आदि को लेकर आपसी तनाव रहता है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए

इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात् वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 12/9 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 2 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 13 एनटीआर के खाता संख्या 17/19 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक बाहमी बंटवारा अपने हक हिस्सा अनुसार खाता व लगान अलग करवाना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है। वादी के वाद को प्रतिवादी सं० 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 17/19 के कुल खसरे 19 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 372/420 (36) के किला नं. 11, 20, 21 की 0.759 है० प० नं० 372/421 (37) किला नं. 7-8 की 0.5060 है०, 12 ता 14 की 0.759 है० व 18 ता 23 की 1.518 है० भूमि कुल 3.542 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प० नं० 372/421 (37) के किला नं. 1/1 की 0.2280 है०, 1/2 की 0.0250 है०, गै० मु० रास्ता, 9 ता 11 की 0.759 है० कुल 1.012 है० भूमि प्रतिवादी का संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के के खाता संख्या 12/9 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 5.8190 है० भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 371/421 (46) के किला नं. 4/1 की 0.227 है०, 4/2 की 0.026 है० गै० मु० रास्ता, 5/1 की 0.2020 है०, 5/2 की 0.051 है० गै० मु० रास्ता, 6/1 की 0.227 है०, 6/2 की 0.026 है० गै० मु० रास्ता, 7 की 0.253 है०, 13/2 के पूर्व दिशा की 0.1265 है० प० नं० 371/421 (46) किला नं. 14 की 0.253 है०, 15/1 की 0.228 है०, 15/2 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 16/1 की 0.228 है०, 16/2 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 17-18 की 0.5060 है० कुल तादादी 2.4035 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प० नं० 371/420 (33) किला नं. 16/1 की 0.228 है०, 16/2 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 17 ता 19 की 0.759 है०, 22 ता 24 की 0.759 है०, 25/1 की 0.228 है०, 25/2 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, प० नं० 371/421 (46) के किला नं. 2/1 की 0.228 है०, 2/2 की 0.025 है० गै० मु०

रास्ता, 3/1 की 0.228 है0, 3/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8, 9 व 12 की 0.759 है0, 13/1 के पश्चिम दिशा की 0.1265 है0 कुल 3.4155 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26.5.23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-बिरकाली

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

अनवान : -

1. बलवन्त पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. मीरा पत्नी बलवन्त जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. शर्मिला पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. अनकोरी पत्नी चन्द्रभान जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
4. जगदीश पुत्र चन्द्रभान जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 380 सन 2023 निर्णय दिनांक 26.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 17/19 के कुल खसरे 19 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 372/420 (36) के किला नं. 11, 20, 21 की 0.759 है0 प0 नं0 372/421 (37) किला नं. 7-8 की 0.5060 है0, 12 ता 14 की 0.759 है0 व 18 ता 23 की 1.518 है0 भूमि कुल 3.542 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प0 नं0 372/421 (37) के किला नं. 1/1 की 0.2280 है0, 1/2 की 0.0250 है0, गै0 मु0 रास्ता, 9 ता 11 की 0.759 है0 कुल 1.012 है0 भूमि प्रतिवादी का संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के के खाता संख्या 12/9 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 5.8190 है0 भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 371/421 (46) के किला नं. 4/1 की 0.227 है0, 4/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/1 की 0.2020 है0, 5/2 की 0.051 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/1 की 0.227 है0, 6/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 7 की 0.253 है0, 13/2 के पूर्व दिशा की 0.1265 है0 प0 नं0 371/421 (46) किला नं. 14 की 0.253 है0, 15/1 की 0.228 है0, 15/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/1 की 0.228 है0, 16/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 17-18 की 0.5060 है0 कुल तादादी 2.4035 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 371/420 (33)

किला नं. 16/1 की 0.228 है0, 16/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 17 ता 19 की 0.759 है0, 22 ता 24 की 0.759 है0, 25/1 की 0.228 है0, 25/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, प0 नं0 371/421 (46) के किला नं. 2/1 की 0.228 है0, 2/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/1 की 0.228 है0, 3/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8, 9 व 12 की 0.759 है0, 13/1 के पश्चिम दिशा की 0.1265 है0 कुल 3.4155 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/11/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-बिरकाली